

(107)

निगम - 3421 / 2018 / सीवा / भूरा

श्रीमान् सम्मानित सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म्वाब्दियर सर्किट कोर्ट रीवा

१००००



कन्हैयालाल शर्मा तनय श्री मथुरा प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम उरुआ तहसील मउगंज
जिला रीवा म०प्र० -----निगराकार

बनाम

- 1- अजय कुमार
- 2- सुनील कुमार
- 3- प्रशान्त कुमार
- 4- देवा चन्द्रवती विधवा पत्नी स्व. बुद्धसेन मिश्र
- 5- कुमारी आरती पिता स्व. बुद्धसेन मिश्र सभी निवासी ग्राम उरुआ तहसील

----- गैर निगराकार

अध्यापी कोटि कुमार
डिवेदी, डारा चेरा

राजस्व मंडल म्वाब्दियर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 16/5/18 जरिये
प्रकरण क्रमांक- 473 अपील/16-17 न्यायालय श्रीमान्
अपर आयुक्त महोदय सम्भाग रीवा म०प्र० अन्तर्गत
धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है:-

१।१- यह कि निगराकार कन्हैयालाल शर्मा वाद ग्रस्त आराजी खसरा क्रमांक -
126 रकवा 2.74र. एवं 127 रकवा 0.38 र. स्थित ग्राम उरुआ तहसील मउगंज
जिला रीवा के गैर निगराकीकर्ता गण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री बुद्धसेन से अर्पणकृत
वक्फ दस्तावेज बेंची के आधार पर वर्ष 1995से काबिज दखील है तथा उक्त -

क्रमा: 2

कन्हैयालाल शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.3421/2018/भू-रा जिला-रीवा

कन्हैयालाल शर्मा विरुद्ध अजय कुमार

(1)

(2)

(3)

18-12-18

1. आवेदक की ओर से श्री. कन्हैयालाल शर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 473/अपी.वा.16/17 में पारित आदेश दिनांक 16.5.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04-06-2018 प्रस्तुत की गयी है।
2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।


सदस्य